POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 19.02.2025

1. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार तथा घटना में प्रयुक्त क्रिकेट का बैट व ईट बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.02.2025** को **थाना सूरजपुर पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये हत्या कारित करने वाले अभियुक्तों 1. अनुज पुत्र अजीत 2. शिवम ठाकुर पुत्र अजीत सिंह 3. सूरज पुत्र अनिल को घण्टा गोल चक्कर से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक क्रिकेट बैट व ईट बरामद किया गया।

घटना का विवरण-- दिनांक 17.02.2025 को फूड प्लाजा के पास खाली पडे तालाब के मैदान में क्रिकेट खेलते हुए अभियुक्तों अनुज, शिवम ठाकुर, सूरज द्वारा कस्बा सूरजपुर के रहने वाले मनीष शर्मा उम्र करीब 31 वर्ष की क्रिकेट बैट व ईट से मारकर हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता द्वारा दिनांक 18.02.2025 को थाना सूरजपुर पर तहरीर दी गयी, दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अनुज पुत्र अजीत निवासी ग्राम अमीपुर थाना पिलखवा जनपद हापुड वर्तमान पता एचडीएफसी बैंक वाली गली राम कालोनी कस्बा व थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 21 वर्ष ।
2. शिवम ठाकुर पुत्र अजीत सिंह निवासी ग्राम मलावन थाना मलावन एटा जनपद एटा वर्तमान पता एचडीएफसी बैंक वाली गली राम कालोनी कस्बा व थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 21 वर्ष ।
3. सूरज पुत्र अनिल ग्राम बिछन्द थाना जैथरा जिला एटा वर्तमान पता एचडीएफसी बैंक वाली गली कृष्णा धाम कालोनी कस्बा व थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0स0 107/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना सूरजपुर बनाम अनुज,शिवम ठाकुर,सूरज

बरामदगी का विवरण--

आला कत्ल एक क्रिकेट बैट व ईट

2. थाना सेक्टर- 49 पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग के दौरान हुयी घटना से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.02.2025** को **थाना सेक्टर- 49** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये हर्ष फायरिंग के दौरान हुयी घटना से सम्बन्धित अभियुक्त दीपांशू पुत्र सतीश को सेक्टर-47 के पीछे की सर्विस रोड के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद की गयी है।

घटना का विवरण--अभियुक्त दीपांशू द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ दिनांक 16.02.25 की रात्रि को ग्राम अगाहपुर मे अपने दोस्त रोहन की शादी मे कई राउंड पिस्टल से हर्ष फायर किये थे। हर्ष फायरिंग करते समय छत पर खडे एक व्यक्ति की गोद मे लिये छोटे बच्चे को गोली लग गयी थी जिसकी मृत्यु हो गयी थी।

अभियुक्त का विवरण--

दीपांशू पुत्र सतीश निवासी ग्राम नाथूपुर थाना डी एल एफ फेस 3 जिला गुडगाँव हरियाणा उम्र 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 051/2025 धारा 105 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल

3.थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा नोएडा में खाली पडे प्लॉट पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उस पर लोन अप्लाई कर अवैध रूप से कब्जा करने वाले गिरोह के सरगना सहित 09 अभियुक्त गिरफ्तार, इनके द्वारा तैयार किये गये फर्जी दस्तावेज बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.02.2025** को **थाना सेक्टर-58** पुलिस द्वारा नोएडा में खाली प्लॉट पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उस पर लोन अप्लाई व प्लाट पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करने वाले गिरोह के सरगना सहित 09 अभियुक्तों

1. देवाशीष शर्मा पुत्र शीषपाल शर्मा

2.इतेश पौशवाल पुत्र श्री हरीश सिंह 3.नीरज झा पुत्र कमलाकान्त झा 4.अनिल भडाना पुत्र राजेश्वर सिंह 5.विभूति पुत्र विजय कुमार 6. संजय शाह पुत्र प्रीतम कुमार 7.कप्तान पुत्र श्री सुन्दर सिंह 8.राकेश विष्ट पुत्र स्व0 बक्तावर सिंह बिष्ट 9.नितीश पौशवाल पुत्र इतेश पौशवाल को थाना क्षेत्र सेक्टर-58 से इनके अपराध से अवगत कराते हुये **गिरफ्तार** किया गया तथा अभियुक्तों द्वारा तैयार किये गये फर्जी दस्तावेज इनके कब्जे से बरामद किये गये है।

घटना का विवरण-- वादी ने थाना सेक्टर-58 पर सूचना दी कि वादी का एक प्लाट ए-6 सेक्टर 55 नोएडा में 375 स्क्वायर मीटर का है दिनांक 12.8.2024 को वादी के पिताजी ने फ्रड रिलेशन में ट्रांसफर डीड किया था मेरे पिता जी की उम्र लगभग 84 वर्ष है जो चलने में असमर्थ है जो 2010 से बीमार चल रहे है। दिनांक 14.02.2025 को मैने प्लाट पर लगे कैमरे में देखा कि कुछ लोग प्लाट का ताला तोड़ रहे है। मै प्लाट पर पहुंचा तो वो सब वहां से भाग गए तथा प्लॉट का ताला टूटा था। इस सूचना पर थाना सेक्टर-58, नोएडा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। प्रकरण में अभियुक्तो से पूछताछ व अन्य संकलित किये गये साक्ष्यों से निम्न चौकाने वाले तथ्य प्रकाश में आये है।

1. इस पूरे प्रकरण का सरगना राकेश बिष्ट व देवाशीष है। राकेश बिष्ट व देवाशीष एक दूसरे को काफी समय से जानते है। देवाशीष एवं अन्य सभी व्यक्ति राकेश बिष्ट को रिटायर्ड बडा अधिकारी समझते है।

2. राकेश बिष्ट ने देवाशीष को बताया कि कोई विवादित प्रापर्टी हो तो मुझे बताना, देवाशीष पहले वनस्थली स्कूल में पढता था स्कूल के सामने काफी समय से एक प्लाट खाली पडा हुआ था। देवाशीष के दिमाग में आया कि यह प्लॉट काफी समय से खाली है। देवाशीष ने उक्त प्लाट के बारे में राकेश बिष्ट को बताया। इन दोनो ने मिलकर मई 2023 में उक्त प्लॉट कब्जाने की नियत से थाना सेक्टर-58 में ऑन लाइन केदारनाथ राय के नाम से एल0ए0आर0 (लोस्ट आर्टिकल रिपोर्ट) जिसमें देवाशीष द्वारा अपना मो0नं0 दिया गया था।

3. इसके बाद केदारनाथ के नाम से एम0एस0एम0ई0 के लिये एक फर्म रजिस्टर्ड करायी तथा केदारनाथ के नाम से यूनियन बैंक में एक चालू खाता खुलवाया जिसका संचालन देवाशीष कर रहा था, जिसमें आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज व मो0 नं0 देवाशीष ने अपने लगाये गये, जिससे कि खाते का संचालन स्वयं से कर सके।

4. अभियुक्त राकेश बिष्ट अथॉरिटी व अन्य ऑफिस में जाता है तथा अपने आपको बडा अधिकारी बताता है जब राकेश बिष्ट व देवशीष मिले तो राकेश बिष्ट ने बताया कि कोई विवादित प्रापर्टी है तो बताना इस पर देवाशीष ने उक्त प्रापर्टी के बारे में बताया और राकेश बिष्ट ने उक्त प्रापर्टी को दिखाया और प्रापर्टी का कागज अथॉरिटी से निकलवाये गये और केदारनाथ के नाम से फर्जी सेलडीड व अन्य कागजात तैयार करवाये गये।

5. इसके बाद इन लोगो द्वारा किसी व्यक्ति को जिसके पास अच्छा पैसा हो और विवादित प्रापर्टी खरीदता हो तलाश की क्रम में इन लोगो की मुलाकात अनिल भडाना, संजय शाह, कप्तान सिंह, नीरज झा, विभूति व अभिषेक

से हुये, अनिल भडाना इतेश पोसवाल का करीबी व पडोसी है। इतेश पोसवाल का खोडा में सीमेन्ट रोडी, बजरी का व्यवसाय है, इन लोगो ने यह योजना ईतेश पोसवाल व नितेश पोसवाल को बताई।

6. इनके द्वारा बैंक से लोन कराने हेतु फर्जी दस्तावेज तैयार किये गये तथा फर्जी सेल एग्रीमेन्ट बनवाये गये जिस पर इन लोगो द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये है तथा इन सभी लोगो द्वारा 50 लाख रूपये आरटीजीएस व चैक द्वारा केदारनाथ राय के फर्म में ट्रांसफर कराये गये तथा बताया कि यह पैसे खर्च के है जिसमें इन पैसो को इन लोगो नें आपस में बांट लिया जिसमें से 15 लाख रूपये राकेश बिष्ट को दिये बाकी सभी लोगो ने 04-04 लाख रूपये बांटे तथा 11 लाख देवाशीष ने लिये।7. उक्त प्रापर्टी की कीमत आज की डेट में लगभग कीमत 12 करोड रुपये होगी लेकिन इनके द्वारा ईतेश पोसवाल व उनके लडके से 3,75,00,000 रुपये में सौदा तय हो गया, इस प्रापर्टी पर इतेश पौशवाल की तरफ से 3,21,00,000 रुपये का लोन भी आदित्य बिरला फाईनेंस में लोन अप्लाई किया गया था इसलिए आदित्य बिरला हाउसिंग फाईनेंस की तरफ से एक कर्मचारी उक्त प्लाट का सर्वे करने के लिए आया था हमने सर्वे कराने के लिए देवाशीष, संजय शाह, विभूति, नीरज, राकेश बिष्ट, कप्तान, अनिल भडाना,इतेश मौजूद थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1.देवाशीष शर्मा पुत्र शीषपाल शर्मा निवासी भिन्डौर थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता योगेश शर्मा के किराये के मकान में किरायेदार म0न0 सी-1/302 सेक्टर 55 थाना सैक्टर 58 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष

2. इतेश पौशवाल पुत्र श्री हरीश सिंह निवासी माधवगढ थाना खानपुर जिला बुलंदशहर वर्तमान निवासी सी-69 संगम पार्क मकनपुर कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद उम्र 54 वर्ष

3. नीरज झा पुत्र कमलाकान्त झा निवासी ग्राम चतरा थाना बेनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार वर्तमान पता प्लाट नम्बर 44ए फ्लैट सी-9 यूजी फ्लोर राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष

4. अनिल भडाना पुत्र राजेश्वर सिंह निवासी दयानगर दादरी थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर वर्तमान निवासी किराये का मकान संगम पार्क खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र 41 वर्ष

5. विभूति पुत्र विजय कुमार निवासी दुलारपुर थाना मकरनपुर जिला दरभंगा बिहार वर्तमान निवासी म0न0 20 चोटपुर कालोनी छिजारसी थाना सैक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 46 वर्ष

6. संजय शाह पुत्र प्रीतम कुमार नि0 भीलगढ थाना श्रीनगर जिला पौढी गढवाल उत्तराखण्ड वर्तमान पता 31/20 विक्रम एंक्लेव थाना सालीमार गार्डन जिला गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष

7. कप्तान पुत्र श्री सुन्दर सिंह नि0 म0न0 99 जाटव मौहल्ला भरथल विलेज द्वारका सैक्टर 26 नई दिल्ली वर्तमान निवासी सी-1/69 पाकेट ए आईएनए कालोनी न्यू दिल्ली 23 उम्र 44 वर्ष

8. राकेश बिष्ट पुत्र स्व0 बक्तावर सिंह बिष्ट नि0 ग्राम थाला पोस्ट तलवारी थाना थराली जिला चमौली उत्तराखण्ड वर्तमान निवासी आई-503 स्काईटेक मेट्रो सेक्टर 76 गौतमबुद्धनगर उम्र 52 वर्ष

9. नितीश पौशवाल पुत्र इतेश पौशवाल नि0 माधवगढ थाना खानपुर जिला बुलंदशहर वर्तमान निवासी पता सी-69 संगम पार्क मकनपुर कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0-74/2025 धारा धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)3(5) बीएनएस थाना सेक्टर-58

बरामदगी का विवरण--

फर्जी दस्तावेज